

SEAFARERS' WELFARE FUND SOCIETY

"FINANCIAL ASSISTANCE BY WAY OF AWARD TO CHILDREN OF SEAFARERS"

1. Objective:

Pursuant to the objects of the Seafarers' Welfare Fund Society (herein after referred to as the Society) as defined in Article 3(XV) of the Memorandum of Association of the Society, the child of the Indian seafarer, as being eligible in terms of provisions of rule 3 herein below, may be granted the '**Financial Assistance by Way of Award**', to recognize and encourage academic excellence among the children of Indian under the circumstances and to the extent detailed herein below.

2. Scope of the Scheme:

The scheme shall cover children of seafarers who secure top position (First Rank) in the following academic categories:

- i. University Degree
- ii. Post-Graduate Degree examinations from UGC - recognized Indian universities and Deemed Universities

3. Eligibility Criteria:

A. For the Seafarer:

- Must be an Indian seafarer holding Indian CDC.
- Must have completed a minimum of **1 year of service on board Indian or foreign-flag vessels.**
- And must have sailed for **minimum 6 months during past 5 years.**

B. For the Child (Awardee):

- Must be the biological or legally adopted child of the eligible seafarer.
- Must have appeared for and topped the relevant examination in the first attempt.
- Must produce a valid certificate issued by the examination authority confirming the top rank or highest marks.
- Must have completed the course from a recognized institution (as detailed under each category below).

4. Categories and Quantum of Award: ₹.25,000/-

i. University Degree and Postgraduate Exams:

- Award: **Rs. 25,000/-**
- Eligibility:
 - Children topping full-time final year undergraduate or Final Year Post-graduate degree examinations.
 - The course must be from an Indian University recognized by UGC or a Deemed University.
 - Mark sheets, rank certificate, and Bonafide certificates to be submitted as proof.

5. Number of Awards:

- Only **one award per category / per academic year**.
- In case of a tie (equal highest scores), the award may be shared or decided through additional merit-based criteria set by the Committee.

6. Application Procedure:

- Applications must be submitted by the parent (seafarer) or the student with all required documents.
- Application window: **Within 3 months of the declaration of the examination results.**
- Documents Required:
 - Copy of seafarer's CDC with sea service details.
 - Marksheet and rank certificate of the child who topped the University, issued by the University / Deemed University.
 - Bonafide certificate from the institute / University.
 - Birth certificate of the Child for relationship proof.

7. Approval and Disbursement:

- Applications will be screened by the **Welfare Sub-Committee**.
- Recommendations will be forwarded to the **Member Secretary/ Chairman-SWFS** for final approval.
- Approved awards will be disbursed on the **Seafarers Day / NMDC Celebration Ceremony**

8. General Conditions:

- The decision of the Welfare Sub-Committee will be final in all matters relating to selection, eligibility, and disbursement.
- The Committee of Management of the SWFS reserves the right to amend, suspend, or cancel the scheme at any time.

SEAFARERS' WELFARE FUND SOCIETY

(Autonomous Body of Ministry of Ports, Shipping and Waterways Government of India)

Nau Bhavan Building, Ground Floor, R. K. Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001

Mob No. 8097552900 / 8097553700.

Email- swfs.dgs@govcontractor.nic.in / swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

APPLICATIN FORM FOR “FINANCIAL ASSISTANCE BY WAY OF AWARD TO CHILDREN OF SEAFARERS”

(FOR STANDING FIRST ON COMPLETION OF GRADUATE DEGREE/POST GRADUATE COURSE BY SON/ DAUGHTER)

(Please refer notes given on next page before submitting this application form)

1. <u>Seafarer's Details</u>		
1.	Full Name	
2.	Indian CDC Number	
3.	Indian ship-owners Co. name OR Recruitment & Placement Service (RPS) provider name RPSL No. & it's Registration No.	M/s. _____
4.	Sea Service in the Last 5 Years (Months)	
5.	Correspondence address	
6.	Telephone No. / Mobile No.	
7.	Email Address	

2. <u>Child's (Awardee's) Details</u>			
1.	Full Name		
2.	Date of Birth		
3.	Relationship with Seafarer	Biological ☐	Legally Adopted ☐
4.	Course Completed		
5.	Degree Level	Undergraduate ☐	Postgraduate ☐
6.	Name of the Institution/College		
7.	Name of the University		
8.	Year of examination in which top rank achieved		
9.	Rank Secured / Marks Obtained		
10.	Date of Result Declaration		

3. Documents to be Attached (*Tick if attached*)

- ☐ Copy of Seafarer's CDC with sea service details
 - ☐ Marksheet of final year examination
 - ☐ Rank certificate / Certificate confirming top position
 - ☐ Bonafide certificate from the institution
 - ☐ Birth certificate / Relationship proof
-

4. Declaration & Request by the Applicant

I, wish to inform you that my son / daughter Mr./Ms _____ has successfully completed the _____ (name of the Graduate/Post-graduate Degree course) from _____ (name of University / Deemed University approved by UGC/Institute approved by AICTE) and stood First in the final examination conducted in (month)/Year) in the University.

I now request you to grant me, the financial reward of Rs.25,000/- under the 'Award to Children of the Seafarers Scheme' as per SWF Society's rules as applicable for the scheme. I am attaching herewith following document, to receive the claim under the scheme.

(a) Self - attested copy of latest CDC book (of the applicant seafarer).

(b) Self -attested copy of the Certificate issued by the University/Deemed University approved by UGC, along with the copy of mark sheet and certificate stating First rank achieved.

I hereby declare that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge. I understand that any false information or suppression of facts may lead to disqualification from the scheme. I have read the terms and conditions of the scheme and agree to abide by them.

I give below **my Child's Bank account details**. (Bank details are mandatory, without which the application will not be processed.) where the financial assistance to be credited. (**Mandatory**) (**NRE/NRO account is not accepted**):

Name of the bank	Branch Name	Branch address	S.B. A/c no	Branch IFSC code

(Note: Attach a legible copy of the front page of Bank pass book of SB account OR original cancelled cheque showing applicant's name and bank details)

Place: _____

Date: _____

Signature of Seafarer (Parent): _____

Signature of the Child: _____

Note 1: This scheme is applicable only for Indian seafarers, whose son/daughter successfully completed the Final Year Undergraduate or final year of post graduate degree course on or after 12.3.2025 from the UGC approved University / Deemed University & has secured first / Top rank in the University.

Note 2: The applicant seafarer should have Indian CDC and has performed cumulative six months sea service after 1.4.2014, preceding five years from the date of submission of claim application, form India flag vessel or engaged through registered RPS License holding company on Indian / Foreign Flag vessel.

Note 3: The application for financial assistance should be received by the Society within three months from the date of declaration of the result.

FOR OFFICE USE ONLY

Application No.

Documents attached verified and the applicant found eligible / not eligible under 'Family Benefit Scheme' for financial assistance of Rs. _____. (Rs. _____ only)

Received on: _____

Verified by: _____

Remarks: _____

Officials Decision: ☐ Approved ☐ Rejected

Date of Approval: _____

Award Disbursed on: _____

Authorized Signature: _____

नाविक कल्याण निधि सोसायटी

"नाविकों के बच्चों को पुरस्कार के माध्यम से वित्तीय सहायता"

1.उद्देश्य:

सोसाइटी के एसोसिएशन के ज्ञापनके अनुच्छेद 3(XV) में परिभाषित सोसाइटी के नाविक कल्याण निधि सोसाइटी (जिसे इसके बाद सोसाइटी के रूप में संदर्भित किया गया है) के उद्देश्यों के अनुसार, भारतीय नाविक का बच्चा, जैसा कि यहां नीचे दिए गए नियम 3 के प्रावधानों के संदर्भ में योग्य है, को नीचे दिए गए परिस्थितियों और सीमा तक 'वित्तीय सहायता पुरस्कार के माध्यम से' प्रदान किया जा सकता है, ताकि भारतीय बच्चों के बीच शैक्षणिक उत्कृष्टता को मान्यता और प्रोत्साहित किया जा सके।

2.योजना का स्कोप:

यह योजना नाविकों के बच्चों को कवर करेगी जो निम्नलिखित शैक्षणिक श्रेणियों में शीर्ष स्थान (प्रथम रैंक) प्राप्त करते हैं:

- i. विश्वविद्यालय की डिग्री
- ii. यूजीसी - मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाएँ

3.पात्रता मानदंड:

(क) नाविक के लिए:

- भारतीय सी.डी.सी. धारक भारतीय नाविक होना चाहिए।
- भारतीय या विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा पूरी की होनी चाहिए।
- और पिछले 5 वर्षों के दौरान कम से कम 6 महीने तक यात्रा की होगी।

(ख) बच्चे (पुरस्कार विजेता) के लिए:

- पात्र नाविक का जैविक या कानूनी रूप से गोद लिया गया बच्चा होना चाहिए।
- प्रथम प्रयास में संबंधित परीक्षा में उपस्थित होना चाहिए और शीर्ष स्थान प्राप्त करना चाहिए।
- शीर्ष रैंक या उच्चतम अंक की पुष्टि करने वाले परीक्षा प्राधिकरण द्वारा जारी एक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पाठ्यक्रम पूरा किया हुआ होना चाहिए (जैसा कि नीचे प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत विस्तृत है)।

4.श्रेणियां और पुरस्कार की मात्रा: 25,000/-

i. विश्वविद्यालय की डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षाएँ:

- पुरस्कार: ₹. 25,000/-
- पात्रता:
 - पूर्णकालिक अंतिम वर्ष स्नातक या अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे।
 - पाठ्यक्रम यूजीसी या डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से होना चाहिए।
 - प्रमाण के रूप में मार्कशीट, रैंक प्रमाण पत्र और बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने हैं।

5.पुरस्कारों की संख्या:

- प्रति श्रेणी/प्रति शैक्षणिक वर्ष केवल एक पुरस्कार।
- टाई (समान उच्चतम अंक) की स्थिति में, पुरस्कार साझा किया जा सकता है या समिति द्वारा निर्धारित अतिरिक्त योग्यता-आधारित मानदंडों के माध्यम से निर्णय लिया जा सकता है।

6.आवेदन प्रक्रिया:

- आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ माता-पिता (नाविक) या छात्र द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- आवेदन विंडो: परीक्षा परिणाम की घोषणा के 3 महीने के भीतर।
- आवश्यक दस्तावेज :
 - समुद्री सेवा विवरण के साथ नाविक के सीडीसी की प्रति।
 - विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे की मार्कशीट और रैंक प्रमाण पत्र।
 - संस्थान/विश्वविद्यालय से बोनाफाइड प्रमाण पत्र।
 - संबंध प्रमाण के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।

7.अनुमोदन और संवितरण:

- आवेदन पत्रों की जांच कल्याण उप-समिति द्वारा की जाएगी।
- सिफारिशें अंतिम अनुमोदन के लिए सदस्य सचिव/अध्यक्ष-एसडब्ल्यूएफएस को भेजी जाएंगी।
- स्वीकृत पुरस्कार नाविक दिवस/एनएमडीसी समारोह में वितरित किए जाएंगे

8.सामान्य शर्तें:

- चयन, पात्रता और वितरण से संबंधित सभी मामलों में कल्याण उप-समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- एसडब्ल्यूएफएस की प्रबंधन समिति किसी भी समय योजना को संशोधित करने, निलंबित करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

नाविक कल्याण निधि सोसायटी

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)

नौ भवन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, आर. के. मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001.

मोबाइल नंबर - 8097552900/8097553700.

ईमेल- swfs.dgs@govcontractor.nic.in/swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

**"नाविकों के बच्चों को पुरस्कार के माध्यम से वित्तीय सहायता" के लिए आवेदन पत्र
(स्नातक डिग्री/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पुत्र/पुत्री द्वारा पूरा करने पर प्रथम स्थान के लिए)
(कृपया इस आवेदन पत्र को जमा करने से पहले अगले पृष्ठ पर दिए गए नोट्स देखें)**

1. नाविक का विवरण		
1.	पूरा नाम	
2.	भारतीय सीडीसी संख्या	
3.	भारतीय पोत-मालिकों कंपनी का नाम या भर्ती और नियोजन सेवा (आरपीएस) प्रदाता का नाम आरपीएसएल नंबर और इसका पंजीकरण सं..	मैसर्स _____
4.	पिछले 5 वर्षों में समुद्री सेवा (महीने)	
5.	पत्राचार का पता	
6.	टेलीफोन नं./मोबाइल नं।	
7.	ईमेल पता	

2. बच्चे (पुरस्कार विजेता) का विवरण		
1.	पूरा नाम	
2.	जन्मतिथि	
3.	नाविक के साथ संबंध	Biological ☐ कानूनी रूप से गोद लिया गया
4.	पाठ्यक्रम पूरा हुआ	
5.	डिग्री स्तर	स्नातक छात्र ☐ परास्नातक ☐
6.	संस्था/कॉलेज का नाम	
7.	विश्वविद्यालय का नाम	
8.	जिस वर्ष में शीर्ष रैंक प्राप्त किया गया	
9.	रैंक सुरक्षित/प्राप्त अंक	
10.	परिणाम घोषणा की तिथि	

3. संलग्न की जाने वाली दस्तावेज (यदि संलग्न है तो टिक करें)

- ☐ समुद्री सेवा विवरण के साथ नाविक के सीडीसी की प्रति
- ☐ अंतिम वर्ष की परीक्षा की मार्कशीट
- ☐ रैंक प्रमाण पत्र/शीर्ष स्थान की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र
- ☐ संस्था से बोनाफाइड प्रमाण पत्र
- ☐ जन्म प्रमाण पत्र/संबंध प्रमाण

4. घोषणा और आवेदक द्वारा अनुरोध

मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे बेटे/बेटी श्री _____/एमएस ने (विश्वविद्यालय/डीम्ड _____ विश्वविद्यालय का नाम) से (यूजीसी द्वारा अनुमोदित/एआईसीटीई _____ द्वारा अनुमोदित संस्थान) से (महीने)/वर्ष) में आयोजित अंतिम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

मैं अब आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे 'समुद्री यात्रियों के बच्चों को पुरस्कार योजना' के तहत एसडब्ल्यूएफ सोसाइटी के नियमों के अनुसार लागू योजना के तहत 25,000 रुपये का वित्तीय पुरस्कार प्रदान करें। योजना के तहत दावा प्राप्त करने के लिए मैं निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न कर रहा हूँ।

(a) नवीनतम सीडीसी पुस्तक की स्व-सत्यापित प्रति (आवेदक नाविक की)।

(b) यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति, साथ ही प्रथम रैंक प्राप्त करने वाले अंक पत्र और प्रमाण पत्र की प्रति।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूँ कि कोई भी गलत जानकारी या तथ्यों का दमन योजना से अक्षमता का कारण बन सकता है। मैंने योजना की शर्तों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

मैं नीचे अपने बच्चे के बैंक खाते का विवरण दे रहा हूँ। (बैंक विवरण अनिवार्य हैं, जिसके बिना आवेदन संसाधित नहीं किया जाएगा.) जहां वित्तीय सहायता जमा की जानी है। (अनिवार्य) (एनआरई/एनआरओ खाता स्वीकार नहीं किया जाता है):

बैंक का नाम	शाखा का नाम	शाखा का पता	एसबीए/सी नंबर	शाखा ईएफएससी कोड

(टिप्पणी: आवेदक का नाम और बैंक विवरण दिखाने वाली एसबी खाते की बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की एक सुपाठ्य प्रति या मूल रद्द चेक संलग्न करें)

स्थान: _____

तारीख: _____

नाविक (माता-पिता) के हस्ताक्षर: _____

बच्चे के हस्ताक्षर: _____

टिप्पणी 1: यह योजना केवल भारतीय नाविकों के लिए लागू है, जिनके बेटे/बेटी ने यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से 12.3.2025 को या उसके बाद स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष को सफलतापूर्वक पूरा किया है और विश्वविद्यालय में प्रथम/शीर्ष रैंक हासिल की है।

टिप्पणी 2: आवेदक नाविक के पास भारतीय सीडीसी होना चाहिए और दावा आवेदन, फॉर्म इंडिया फ्लैग वेसल जमा करने की तारीख से पांच वर्ष पहले 1.4.2014 के बाद छह महीने की संचयी समुद्री सेवा की होनी चाहिए।/पंजीकृत आरपीएस लाइसेंस धारक कंपनी के माध्यम से भारतीय/विदेशी ध्वज पोत पर कार्यरत।

टिप्पणी 3: वित्तीय सहायता के लिए आवेदन परिणाम की घोषणा की तारीख से तीन महीने के भीतर सोसायटी द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए आवेदन सं। _____

संलग्न दस्तावेजों को सत्यापित किया गया और आवेदक को वित्तीय सहायता के लिए 'सीफर्स स्कीम के बच्चों को पुरस्कार' के तहत योग्य/अक्षम पाया गया। (रु. केवल) _____

प्राप्त किया गया: द्वारा सत्यापित:

टिप्पणी:

अधिकारी का निर्णय: ☐ स्वीकृत ☐ अस्वीकृत

अनुमोदन की तारीख: _____

पुरस्कार का भुगतान किया गया: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

